(१)

ई-मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
संख्याः12 / ए–366(भवन निर्माण)–2017 दिनांकःअगस्त05, 2017

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0।
2–समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0।

विषयः– पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण / क्रय / मरम्मत / विस्तार अग्रिम

कृपया वित्त विभाग उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः बी–3–1973 / दस–2010–100(9) / 88–भवन दिनांक 12.10.2010 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

2. इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कर्मचारियों के भवन निर्माण / क्रय / मरम्मत / विस्तार अग्रिम से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र अग्रसारित करने से पहले संलग्न शासनादेश में निहित शर्तो के सम्बन्ध में एक प्रमाण–पत्र तथा सिक्योरिटी बान्ड अवश्य प्राप्त कर लें, जो कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं सील के अन्तर्गत अग्रसारित होना चाहिए।

3. कर्मचारियों द्वारा मॉगे गये अग्रिम के सम्बन्ध में औचित्य भी दिया जाय।

4. इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना–पत्र(प्रारूप संलग्न)अपेक्षित सभी प्रपत्रों / प्रमाण–पत्रों के साथ ही अग्रसारित किये जायें।अपूर्ण प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

संलग्नकःयथोपरि।

(जुगुल किशोर)
पुलिस अधीक्षक, भवन / कल्याण
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– समस्त अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

संख्या बी–3–1973/दस–2010–100(9)/88–भवन

प्रेषक,

डा0 बी0एम0 जोशी,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिला एवं सत्र न्यायाधीश
तथा जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3 लखनऊ: दिनाँक: 12 अक्टूबर, 2010

विषय: पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी–3–1875/दस–2006–100(9)/88, दिनाँक 23 अगस्त, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित पात्रता एवं अनुमन्यता निर्धारित की जाती है:–

(1) भवन निर्माण/क्रय अग्रिम की सीमा वेतन बैण्ड में 34 माह का वेतन या अधिकतम रूपये 7.50 लाख अथवा भवन की लागत, जो भी कम हो, होगी।

(2) भवन की लागत सीमा वेतन बैण्ड में वेतन का 134 गुना और अधिकतम रूपये 30.00 लाख एवं न्यूनतम रूपये 7.50 लाख होगी।

(3) भवन मरम्मत/विस्तार के लिए अग्रिम की सीमा वेतन बैण्ड में 34 माह का वेतन या अधिकतम रूपये 1.80 लाख, जो भी कम हो, होगी।

वेतन बैण्ड में वेतन का आशय मूल वेतन में ग्रेड वेतन को घटाकर है।

2– जिन मामलों में पूर्व में गृह निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की धनराशि आंशिक अथवा पूर्ण रूप से आहरित की जा चुकी है उन्हे इस शासनादेश के अन्तर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री–ओपेन नहीं किया जायेगा।

3– यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

4- उक्त शासनादेश संख्या बी-3-1875/दस-2006-100(9)/88, दिनांक 23 अगस्त, 2006 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5- वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 में तदनुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

बी.एम.जोशी
सचिव।

संख्या बी-3-1973(1)/दस-2010 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
4- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6- विधान परिषद तथा विधान सभा सचिवालय।
7- राज्यपाल सचिवालय।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1 को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 में आवश्यक संशोधन हेतु।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-86 सा0 वित्त 13.10.2010-(1295)-3000 प्रतियां (क0/आ0)।

गृह निर्माण अग्रिम के लिये प्रार्थना पत्र

1. नाम –
2. पदनाम और कार्यालय का पता –
3. घर का स्थायी पता –
4. स्थायी पद अथवा मौलिक पद –
5. वेतन और भत्ते –

(अ) मूल वेतन –

(ब) स्थानापन्न वेतन –

(स) विशेष वेतन –

(द) व्योरे सहित भत्ते –

6. अपेक्षित अग्रिम भत्ते –

(क) भूमि खरीदने के लिये –

(ख) मकान बनाने के लिये –

(ग) मकान और संलग्न भूमि खरीदने के लिए –

(घ) खरीदे जाने मकान की मरम्मत के लिए –

(ड़) मकान फिर से बनवाने के लिए –

(च) पिछले अग्रिम धनराशि से बनाये गये या खरीदे गये मकान को मरम्मत/विस्तार के लिये–

7. खरीदे जाने वाले प्लाट/मकान का पूर्ण विवरण और सही स्थान–
8. यह सिद्ध करने के लिये आपके पास क्या प्रमाण है कि उक्त भूमि या मकान पर आपने निर्बाधित्वाधिकार प्राप्त कर लिया है या कर लेगें और उसे सरकार के पास बन्धक रखने में कोई बाधा नही पड़ेगी–
9. अग्रिम धनराशि कितनी किश्तों में चाहिये और प्रत्येक किश्त के कब तक पूर्णरूप से उपभोग कर लिये जाने की संभावना है–
10. मकान के निर्माण/कय/मरम्मत के बाद उसमें कौन रहेगा–
11. किसी ऐसे अन्य मामले का विवरण जिसके आप स्वामी या हिस्सेदार हों उक्त मकान में अपने अंश का मूल्य भी बताइये।
12. यदि कोई मकान बनवाने खरीदने या उसकी मरम्मत आदि करने के लिए आपने इस नियमों के अधीन कोई अन्य अग्रिम धनराशि ली हो तो उसका पूर्ण विवरण दीजिये।
13. किसी मकान को खरीदने, बनाने उसकी मरम्मत करने या उसे फिर से बनाने के लिये भविष्य निधि से लिये गये स्थायी प्रत्याहरण फाइनल विथड्राल का

14. जन्म का दिनांक

15. सामान्यतः आप कब तक सेवानिवृत्त होंगे-

16. क्या आपका विचार इससे पहले सेवानिवृत्त होने का है-

17. वसूल कब से और किस दर से होनी चाहिये-

18. क्या आपकी पत्नी/आपके पति राज्य सरकार के कर्मचारी हैं? यदि हॉ तो उसका विवरण दें।

(1) उनका नाम, पद का नाम तथा कार्यालय का पता अंकित करें-

(2) यदि इन्होंने इस विभाग के अधीन किसी प्रयोजन के लिये आवेदन पत्र दिया है और यदि अग्रिम लिया हो तो निम्नलिखित विवरण दें-

(क) आवेदन पत्र देने का तारीख-

(ख) लिये गये अग्रिम का प्रयोजन-

(ग) लिये गये अग्रिम की राशि-

(घ) अग्रिम के खरीदे गये/बनाये गये/मरम्मत कराये गये भवन का विवरण जिसमें स्थान का उल्लेख अवश्य हो-

19. क्या आपने या आपकी पत्नी ने या उसके पति ने अपनी ओर से या किसी अवयस्क बच्चे की ओर से किसी अन्य स्रोत/संस्था से गृह निर्माण अग्रिम ऋण हेतु प्रार्थना पत्र दिया है या कोई ऋण अग्रिम प्राप्त किया है तो उसका पूर्ण विवरण दें-

घोषणा

1. मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर बताई गई विभिन्न मदों के उत्तर में मैंने सूचना जो दी है वह जहॉ तक मेरी जानकारी और विश्वास में सही है।

2. मैं मकान बनवाने आदि के लिये राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिम के विनियमित करने वाले नियमों को पढ़ लिया है और उसमें दी गयी शर्तो को मानने के लिये सहमत हूँ।

3. जिस मकान के निर्माण के सम्बन्ध में अग्रिम के लिये प्रार्थना पत्र दिया है उसे बनवाना अभी प्रारम्भ नहीं किया है।

4. मै घोषणा करता हूँ कि मेरी पत्नी/पति/अवयश्क बच्चे का उस नगर/नगर समूहन/(टाऊन अरवन एग्लोमरेशन) में जहॉ जाकर सरकार से अग्रिम लेकर मकान बनाया जाना अथवा अर्जित किया जाना प्रस्तावित है, पहले से कोई मकान नहीं हैं

प्रार्थी के हस्ताक्षर-

पदनाम-

विभाग/कार्यालय जिसमें वह नियुक्त है-